



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 कार्तिक 1945 (श10)  
(सं0 पटना 968) पटना, शुक्रवार, 17 नवम्बर 2023

विधि विभाग

अधिसूचना

17 नवम्बर 2023

सं०-एल०जी०-01-07/2023-8957/लेज।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर माननीय राज्यपाल दिनांक-16 नवम्बर 2023 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
ज्योतिस्वरूप श्रीवास्तव,  
सरकार के सचिव (प्र०)।

(बिहार अधिनियम 16, 2023)

बिहार माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2023

बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम 12, 2017) का संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।**— (1) यह अधिनियम बिहार माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2023 कहा जा सकेगा।

(2) यह अधिनियम दिनांक 01 अक्टूबर 2023 से प्रभावी होगा।

2. **धारा 2 का संशोधन।**— बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,—

(क) खंड (80) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

“(80क) “ऑनलाइन गेम खेलना” से इंटरनेट या इलैक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर गेम की प्रस्थापना अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ऑनलाइन धनीय गेम खेलना भी है :

(80ख) “ऑनलाइन धनीय गेम खेलना” से ऐसा ऑनलाइन गेम खेलना अभिप्रेत है, जिसमें खिलाड़ी किसी आयोजन में, जिसमें गेम, स्कीम, प्रतिस्पर्धा या कोई अन्य क्रियाकलाप या प्रक्रिया भी है, धन या धन के मूल्य, जिसके अंतर्गत आभासी डिजिटल आस्तियां भी हैं, को जीतने की प्रत्याशा में, धन या धन के मूल्य का संदाय या जमा करता है, जिसके अंतर्गत आभासी डिजिटल आस्तियां भी हैं, चाहे इसका परिणाम या निष्पादन कौशल, अवसर या दोनों पर आधारित हो या नहीं, तथा चाहे वह तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अनुज्ञेय हो या नहीं ;;

(ख) खंड (102) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(102क) “विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावे” से,—

(i) दांव लगाने ;

(ii) कैसिनो ;

(iii) घूतक्रीडा ;

(iv) घुड़दौड़ ;

(v) लाटरी ; या

(vi) ऑनलाइन धनीय गेम खेलना,

में अंतर्वलित या उनके माध्यम से अनुयोज्य दावा अभिप्रेत है।”;

(ग) खंड (105) में, अंत में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“परंतु कोई व्यक्ति, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावों की पूर्ति की व्यवस्था या ठहराव करता है, जिसके अंतर्गत वह व्यक्ति भी है, जो ऐसी पूर्ति के लिए डिजिटल या इलैक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म का स्वामी है या उसका प्रचालन या प्रबंधन करता है, ऐसे अनुयोज्य दावों का पूर्तिकार समझा जाएगा, चाहे ऐसे अनुयोज्य दावे, उसके द्वारा या उसके माध्यम से पूर्ति किए जाते हों और चाहे ऐसे अनुयोज्य दावों की पूर्ति के लिए धन या धन के मूल्य, जिसके अंतर्गत आभासी डिजिटल आस्तियां भी हैं, में प्रतिफल, उसको या उसके माध्यम से संदत्त या सूचित किए जाते हैं या किसी भी रीति में उसको दिए जाते हैं, और इस विधेयक के सभी उपबंध विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावों के ऐसे पूर्तिकार को लागू होंगे, मानो वह ऐसे अनुयोज्य दावों की पूर्ति करने के संबंध में कर का संदाय करने के लिए दायी पूर्तिकार हो।”;

(घ) खंड (117) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(117 क) “आभासी डिजिटल आस्ति” का वही अर्थ होगा, जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (47क) में उसका है;”।

3. **धारा 24 का संशोधन।**— मूल अधिनियम की धारा 24 में,—

(क) खंड (xi) में, अंत में, “और” शब्द का लोप किया जाएगा;

(ख) खंड (xi) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(xi क) भारत से बाहर किसी स्थान से, भारत में किसी व्यक्ति को ऑनलाइन धनीय गेम खेलने की पूर्ति करने वाला प्रत्येक व्यक्ति; और”।

4. **अनुसूची-3 का संशोधन।**— मूल अधिनियम की अनुसूची 3 के पैरा 6 में, “लाटरी, दांव और घूत” शब्दों के स्थान पर, “विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावों” शब्द रखे जाएंगे।

5. **संक्रमणकालीन उपबंध।**— इस विधेयक के अधीन किए गए संशोधन, दांव लगाने, कैसिनो, घूतक्रीडा, घुड़दौड़, लाटरी या ऑनलाइन गेम खेलने को प्रतिषिद्ध, निर्बंधित या विनियमित करने का उपबंध करने वाली तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे।

6. **निरसन एवं व्यावृत्ति।**— (i) बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2023 (बिहार अध्यादेश संख्या-01, 2023) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के द्वारा या के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग के किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गई समझी जायेगी, मानों यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था, जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गई थी।

ज्योतिस्वरूप श्रीवास्तव,  
सरकार के सचिव (प्र०)।

17 नवम्बर 2023

सं०—एल०जी०—01—07/2023—8958/लेज।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और माननीय राज्यपाल द्वारा dated-16<sup>th</sup> November, 2023 को अनुमत बिहार माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2023 (बिहार अधिनियम 16, 2023) का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
ज्योतिस्वरूप श्रीवास्तव,  
सरकार के सचिव (प्र०)।

(Bihar Act 16, 2023)

**THE BIHAR GOODS AND SERVICES TAX (SECOND AMENDMENT) ACT, 2023**  
**AN**  
**ACT**

*to amend the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017(Bihar Act 12 of 2017).*

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Seventy Fourth year of the Republic of India as follows:-

- 1. Short title and commencement.**-(1) This Act may be called the Bihar Goods and Services Tax (Second Amendment) Act, 2023.  
(2) It shall come into force from 1<sup>st</sup> day of October 2023.
- 2. Amendment of Section 2.**- In section 2 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (hereinafter referred to as the principal Act),-
  - (a) after clause (80), the following clauses shall be inserted, namely:-  
'(80A) "online gaming" means offering of a game on the internet or an electronic network and includes online money gaming;  
(80B) "online money gaming" means online gaming in which players pay or deposit money or money's worth, including virtual digital assets, in the expectation of winning money or money's worth, including virtual digital assets, in any event including game, scheme, competition or any other activity or process, whether or not its outcome or performance is based on skill, chance or both and whether the same is permissible or otherwise under any other law for the time being in force;'
  - (b) after clause (102), the following clause shall be inserted, namely:-  
'(102A) "specified actionable claim" means the actionable claim involved in or by way of-
    - (i) betting;
    - (ii) casinos;
    - (iii) gambling;
    - (iv) horse racing;
    - (v) lottery; or
    - (vi) online money gaming;'
  - (c) in clause (105), the following proviso shall be inserted at the end, namely:-  
"Provided that a person who organizes or arranges, directly or indirectly, supply of specified actionable claims, including a person who owns, operates

or manages digital or electronic platform for such supply, shall be deemed to be a supplier of such actionable claims, whether such actionable claims are supplied by him or through him and whether consideration in money or money's worth, including virtual digital assets, for supply of such actionable claims is paid or conveyed to him or through him or placed at his disposal in any manner, and all the provisions of this Act shall apply to such supplier of specified actionable claims, as if he is the supplier liable to pay the tax in relation to the supply of such actionable claims;"

(d) after clause (117), the following clause shall be inserted, namely:-

'(117A) "virtual digital asset" shall have the same meaning as assigned to it in clause (47A) of section 2 of the Income-tax Act, 1961;'

**3. Amendment of Section 24.-** In section 24 of the principal Act,-

(a) in clause (xi), the word "and" occurring at the end, shall be omitted;

(b) after clause (xi), the following clause shall be inserted, namely:-

"(xia) every person supplying online money gaming from a place outside India to a person in India; and".

**4. Amendment of Schedule III.-** In the principal Act, in Schedule III, in paragraph 6, for the words "lottery, betting and gambling" the words "specified actionable claims" shall be substituted.

**5. Transitory Provision.-** The amendments made under this Act shall be without prejudice to provisions of any other law for the time being in force, providing for prohibiting, restricting or regulating betting, casino, gambling, horse racing, lottery or online gaming.

**6. Repeal and Savings-** (i) Bihar Goods and Service Tax (Amendment) Ordinance, 2023 (Bihar Ordinance No.-01, 2023) is hereby repealed.

(ii) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken in exercise of any power conferred by or under the said ordinance shall be deemed to have been done or taken in exercise of the powers conferred by or under this Act as if this Act were in force on the day on which such thing was done or action taken.

Jyoti Swaroop Srivastava,  
Secretary (IC).

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 968-571+400-डी0टी0पी0

Website: <http://egazette.bih.nic.in>